

29/3/12

अभिलेख अपस्थानित /

उभय पक्ष उपास्थित होकर अपने
 अधिकार के माध्यम से उपास्थिति पत्र एवं उभय पक्षों
 द्वारा न्यायालय में उपास्थित होकर न्यायालय के बाहर
 आपसी सुलह कर अधिकार के माध्यम से सुलह
 नामा पत्र दायित्व किया गया है जिसमें वे अपने आप
 कोर्बाज और या खर्च करेंगे एवं एक दूसरे के दाय
 और ये दाय करने नहीं जाएंगे ।

अभिलेख आदेश हुआ है।

Handwritten signature
29/3/12

अनुमण्डल न्यायाधिकारी
बसिया (मुमला)